प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक जुलाई 29, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 382 वाहनों का चालान किया तथा 08 वाहनों से 7500/- रू0 का समन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 67 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गया साहनी पुत्र रामकेवल नि0 ब्रह्मपुर थाना पनियरा जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बहादुर यादव पुत्र चन्द्रमन यादव नि0 पिपरा कल्याण सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 298/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त सुनील पुत्र रामनयन नि0 गंगराई थआना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 299/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त लालमन पुत्र रामअवध नि0 गंगराई थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 300/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त अरुण कुमार गुप्ता पुत्र चेतन प्रसाद नि0 शिकारपुर थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 301/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामसनेही यादव पुत्र स्व0 मंगल नि0 बेलवा तिवारी थाना घुघली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ सिध्दू पुत्र नजीर नि0 कस्बा घुघली जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामचरन पुत्र घिसियावन नि0 धोतियहवां थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 140/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता इसरावती पत्नी स्व0 रामचन्दर नि0 सिहाभार थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-
थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजेश पुत्र सुकल यादव 2. अखिलेश पुत्र चन्नर नि0 ठूठीबारी जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 08 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।
जनपद में 28/29.07.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 76 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।